न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विकासनगर, देहरादून।
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 318/2023

वादी——————मुखलाल गुप्ता

<u>दिनांक 10.08.2026</u>

वाद पुकरा गया। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त अंतिम रिपोर्ट में आज की तिथि नियत है। वह उपरोक्त मुकदमें को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा उसे कोई आपत्ति नहीं है और वाद का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थी/वादी ने अपनी पहचान के सम्बंध में अपने आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति दाखिल की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06, अन्तर्गत धारा 356 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 पंजीकृत हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह थाने से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना चाहता है और उसके द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन भी आदेश पत्र के हाशिये पर किया गया है। अतः प्रार्थी के द्वारा किये गये उपरोक्त कथनों व पृष्ठांकन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार फौजदारी अभिलेखागार संचित की जाये।

(जतिन मित्तल),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
विकासनगर, देहरादून।